न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 20 / 2017

प्रार्थी

1. श्री अमराराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति राईका निवासी निम्बली उर्रा तहसील पाली जिला पाली (राज0)
2. श्री मांगीलाल पुत्र श्री पनाराम
3. श्री सुखाराम पुत्र श्री पनाराम
4. श्रीमती पारकी पत्नि श्री कालुराम जाति सिरवी निवासीगण ग्राम इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला पाली (राजस्थान)

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. स्व0 श्री मोहन पुत्र श्री बोता के का0मु0ः–
   1/1 श्री मुलाराम पुत्र श्री मोहन
   1/2 श्री गोबरराम पुत्र श्री मोहन
   1/3 श्री कानाराम पुत्र श्री मोहन जातिगण सरगरा निवासीगण निम्बली उर्रा तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)
   1/4 ढलकी पुत्री श्री मोहन पत्नि श्री मोहन जाति सरगरा हाल ससुराल निवासी शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली
   1/5 रूकड़ी पुत्री श्री मोहन पत्नि श्री घीसाराम जाति सरगरा निवासी भांगेसर तहसील पाली जिला पाली
2. श्री पेमा पुत्र श्री वसीया
3. श्री कुका पुत्र श्री वसीया
4. श्री सुखदेव पुत्र श्री वसीया
5. श्रीमती दाकु बेवा श्री वसीया जातिगण सरगरा निवासीगण निम्बली उर्रा तहसील पाली
6. श्री कालुराम पुत्र श्री सदाजी कौम सरगरा निवासी निम्बली उर्रा तहसील पाली जिला पाली
7. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली

उपस्थितिः–

1. श्री बी.आर. चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–ःआदेशः– दिनांक 28/1/15

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना-–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम भांगेसर के खसरा नंबर 670 / 394, 668 / 394, व 389 बीघा भूमि है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 394, 389 की भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम रामासिया के खसरा नंबर 393 व 391 में से होकर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच भू0अ0नि0, खेतावास द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि ग्राम भांगेसर के खसरा नंबर 389 रकबा 19.05 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अमराराम पुत्र मंगलाराम कौम राईका सा0 निम्बली खातेदार दर्ज है इसी प्रकार ग्राम भांगेसर के खसरा नंबर 668 / 394 रकबा 62.10 बीघा किस्म बा0सो0 की भूमि पारकी जोजे कालूराम सिरवी सा0 इन्द्रोका की ढाणी खातेदार दर्ज है तथा खसरा नंबर 670 / 394 रकबा 62.10 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

मांगीलाल, सुखराम पि0 पनाराम 1/2, मांगीलाल पुत्र पनाराम 1/2 कौम सीरवी सा0 इन्द्रोंका की ढाणी खातेदार दर्ज है। ग्राम भांगेसर के खसरा नंबर 391 रकबा 12.15 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि कालूराम पुत्र सदाजी कौम सरगरा सा0 देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नंबर 393 रकबा 22.18 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि मोहन पुत्र बोता 1/2, पेमा, कुका, सुखदेव पि0 वसिया, दाकु बेवाा वसीया 1/2 कौम सरगरा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। ग्राम भांगेसर के खसरा नंबर 224 रकबा 39.16 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि सरकारी खाता में दर्ज है। खसरा नंबर 389 रकबा 19.05, खसरा नंबर 668/394 रकबा 62.10 एवं खसरा नंबर 670/394 रकबा 62.10 की भूमि में आने–जाने हेतु खसरा नंबर 224 रकबा 39.16 बीघा किस्म गे0मु0 रास्ता जो कि नजदीकी रेकर्ड रास्ता है से खसरा नंबर 391 व खसरा नंबर 393 से होते हुए माठ के सहारे सहारे मांग की गई है। खसरा नंबर 389, 668/394 व 370/394 में आने जाने हेतु नजदीकी रेकर्ड रास्ता के खसरा नंबर 224 से खसरा नंबर 391 व 393 के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता हेतु भूमि नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 391 की भूमि पर मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा खसरा नंबर 393 की आंशिक भूमि पर अंग्रेजी बबूल की झाड़ी है व शेष पर कृषि की जा रही है। खसरा नंबर 389 के खातेदार द्वारा पूर्व मं भी प्रस्तावित रास्ते की भूमि से ही आना–जाना किया जाता रहा है तथा खसरा नंबर 224 गै0मु0 रास्ता की भूमि से ग्राम भांगेसर एवं निम्बली उर्रा की कांकड़ माठ से खसरा नंबर 392 व 393 से किया जा रहा था जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तावित रास्ता का उपयोग अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने हेतु किया जाना है। प्रस्तावित भूमि के अलावा अन्य कोई भी नजदीकी रास्ता हेतु विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य हेतु आने–जाने हेतु रेकर्ड रास्ता से अन्य नजदीकी रास्ता नहीं होने से आवश्यक है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काश्त होती है तथा प्रार्थीगण की भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं की जा रही है। प्रस्तावित रास्ता को कृषि प्रयोजनार्थ लेने हेतु 3 गट्टा चौड़ाई व 110 गट्टा लम्बाई 0.16 बीघा रकबा बनता है। ग्राम भांगेसर की वर्तमान डी.एल.सी. दर 22,300/– प्रति बीघा है। दुगुनी राशि 35,680/– अप्रार्थीगण को दिलाई जानी है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा खसरा नंबर 393 की आंशिक भूमि पर अंग्रेजी बबूल की झाड़ी खड़ी है। नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं प्रस्तावित आवेदित भूमि की मौके की स्थिति को जांच प्रतिवेदन के संलग्न दर्शाया गया है। खसरा नंबर 391 में प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 3 गट्टा एवं लंबाई 50 गट्टा 0.07 बीघा तथा खसरा नंबर 393 में चौड़ाई 3 गट्टा एवं लम्बाई 60 गट्टा 0.09 बीघा है।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 11–10–2017 को एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

4. बहस प्रा0पत्र प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने माफिक भू0अ0नि0, खेतावास की जांच रिपोर्ट के अनुरूप एवं नजरी नक्शा के अनुरूप रास्ता दिये जाने का निवेदन किया तथा जो कॉस्ट जमीन की है वे अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार है।

5. अतः भू0अ0नि0, खेतावास की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर भू0अ0नि0, खेतावास की जांच रिपोर्ट के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा को इस आदेश का भाग बनाया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम भांगेसर में स्थित खसरा नंबर 391 में से 3 गट्टा चौड़ा एवं 50 गट्टा लंबा रकबा 0.07 बीघा तथा खसरा नंबर 393 में से 3

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

गट्टा चौड़ा एवं 60 गट्टा रकबा 0.09 बीघा कुल रकबा 16 बिस्वा भूमि भू.अ.नि. खेतावास की जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित अनुरूप भूमि आवेदक के खातेदारी भूमि तक जाने हेतु रास्ता के रूप में दिया जाता है। Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rule, 2012 के नियम 70 के तहत आदेश जारी होने की तारीख को प्रचलित डी.एल.सी. की दर, जिसे भू0अ0नि0, खेतावास द्वारा 22,300/– रूपये प्रति बीघा होना बताया है, इसके अनुसार खसरा नंबर 391 के 0.07 बीघा की किमत 7,805/– रूपये तथा इसका दुगुना 15,610/– रूपये तथा खसरा नंबर 393 के 0.09 बीघा की किमत 10,035/– रूपये तथा इसका दुगुना 20,070/– रूपये प्रार्थी से अप्रार्थीगण को तहसीलदार, पाली द्वारा अप्रार्थीगण के हिस्से अनुरूप अप्रार्थीगण को अदा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली उक्त प्रस्तावित रास्ता, जिसे भू0अ0नि0, खेतावास द्वारा जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, का राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में अंकन करवाया जायेगा। उक्त सार्वजनिक रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा न कि केवल प्रार्थीगण के अकेले के उपयोग हेतु। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस आदेश एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

(मुहर: सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली)

यह आदेश आज दिनांक 28.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner